संक्षिप्त

एसपी को सौंपा ज्ञापन

कोटपूतली। कस्बे के मौहल्ला बूचाहेडा वार्ड नं. 25 निवासी अधेड़ व्यक्ति बाबूलाल सैनी (44) की गुमशुदगी के मामले में पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं करने पर गुरूवार को सैनी सभा संस्था द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक देवेन्द्र कुमार बिश्नोई को ज्ञापन सौंपा गया। उल्लेखनीय है कि बाबूलाल विगत 16 जुलाई को रोजगार के लिये अपने घर से गुड़गांव के लिये निकला था। जिसका आज तक उसके परिवार को पता नहीं चल पाया है। बाबूलाल का मो. नं. 9950375221 एवं 9694677819 बंद आ रहे हैं। साथ ही उसके दो आईएमईआई नंबर भी बंद हो चुके हैं। परिवार ने पूरे प्रयास किये रिश्तेदारों व दोस्तों से संपर्क साधा लेकिन बाबूलाल का कोई पता नहीं चला। परिजनों में बाबूलाल की गुमशुदगी को लेकर गहरी चिंता व्याप्त है। जिन्होंने बताया कि बाबूलाल के गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले से ही पुलिस थाना कोटपूतली में राहुल द्वारा 22 जुलाई को दर्ज करवाई गई थी। लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की है।

खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन

कोटपूतली। कस्बे के बंसत प्रभु आदर्श विद्या मंदिर में दो दिवसीय प्रांत स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन खेल अधिकारी रोहिताश खेरिया, जयपुर प्रांत के सह खेल प्रमुख महावीर सिंह, जिला सचिव अलवर पर्यवेक्षक सतीश शर्मा, प्रतियोगिता संयोजक श्याम बिहारी शर्मा के सानिध्य में हुआ। इस मौके पर महेश कुमार मीणा के मुख्य आतिथ्य एवं विनोद कुमार गोयल की अध्यक्षता में ध्वजारोहण किया गया। प्रतियोगिता में जूडो में महानगर जयपुर, कुराश में चुरू, कुश्ती में बसन्त प्रभु आदर्श विद्या मन्दिर कोटपूतली विजयी रही। इस अवसर पर विजेता एवं उप विजेता टीमों को मैडल, प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान प्रधानाचार्य जगदीश माली, व्यवस्थापक महेंद्र कुमार शर्मा, राजेश, मुरलीराम गुर्जर, ओमप्रकाश जाट, ज्योति टेलर, नरेश सैनी, पार्वती, एकता, गजल, सीमा, ललित समेत 84 छात्रायें, 128 छात्र, 07 आचार्य, 16 आचार्यो की उपस्थिति रही।

बैठक का आयोजन

निवाई। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय राहोली में अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य रामप्रसाद जाट ने बताया कि ग्रामीणों ने विद्यालय की गतिविधियों व कक्षाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जानकारी ली। बैठक प्रभारी शिवानी सुगंधी ने अभिभावकों को बताया कि विद्यालय में भविष्य को ध्यान में रखते हुए कई सांस्कृतिक शैक्षिणक गतिविधियों का निरन्तर आयोजन किया जाता है।

जिला कलक्टर ने बोरोदा में ग्राम सेवा शिविर का अवलोकन किया

- स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीणों को आवासीय पट्टे वितरित किए
- अधिशासी अभियंता मांगीलाल मीणा एवं सहायक अभियंता सैंथल सागर बांध का निरीक्षण किया

दौसा। जिला कलक्टर देवेन्द्र कुमार ने गुरुवार को सैंथल उपखंड क्षेत्र में बोरोदा ग्राम पंचायत में ग्राम सेवा शिविर का अवलोकन कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। उन्होंने स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीणों को आवासीय पट्टे वितरित किए।

जिला कलक्टर ने शिविर में विभागवार लगाई गई स्टॉलों का गहन निरीक्षण कर ग्रामीणों की समस्याओं एवं समाधान कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने राजस्व प्रकरणों के संबंध में हो रही कार्यवाही पर चर्चा करते हुए निस्तारण के प्रति संतोष व्यक्त किया। उन्होंने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगाई स्वास्थ्य डेस्क का अवलोकन कर प्राथमिकता से महिलाओं एवं बच्चों के टीकाकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि शिविर लगने से पहले वहां की समस्याओं और योजनाओं से लाभान्वित होने के पात्रा लोगों को चिह्नित करें। शिविरों में समस्याओं का त्वरित निस्तारण कर आमजन को राहत पहुंचाएं। जिला कलक्टर ने ग्रामीणों से संवाद करते हुए उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली और जागरूक रहकर जनकल्याणकारी योजनाओं का अधिकाधिक लाभ लेने का आ ान किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से एक ही स्थान पर आमजन की समस्याओं के शीघ्र निस्तारण के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। इन शिविरों के माध्यम से समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ देने का प्रयास किया जा रहा है। जिला कलक्टर देवेंद्र कुमार ने अन्य अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ पौधारोपण किया। इस अवसर पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नरेन्द्र कुमार मीणा, उपखंड अधिकारी अमृता खंडेलवाल एवं जिला परिषद सदस्य नीलम गुर्जर सहित अन्य अधिकारी-कार्मिक एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

शिविर में जिला कलक्टर के निर्देश पर रसद विभाग ने त्वरित कार्यवाही करते हुए जरूरतमंद एवं पात्र परिवार को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ दिलवाया। दिव्यांग राकेश मेहरा का फिंगर प्रिंट नहीं आने से उसकी ई-केवाईसी नहीं हो पा रही थी, जिसके अभाव में परिवार को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था। जिला रसद अधिकारी ने मौके पर ही दिव्यांग राकेश मेहरा का नाम एक्टिव कर खाद्य सुरक्षा योजना का फायदा चालू करा दिया और ई-केवाईसी के संबंध में छूट के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवा दिया।

जिला कलक्टर देवेन्द्र कुमार ने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नरेन्द्र कुमार मीणा, जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता मांगीलाल मीणा एवं सहायक अभियंता रेखा कुमारी के साथ सैंथल सागर बांध का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से बांध की भराव क्षमता तथा नहर संचालन संबंधी जानकारी ली और बांध की सतत निगरानी एवं देखरेख करने के निर्देश दिए।

साथ ही, नहर संचालन संबंधित कार्यवाही के लिए समय पर तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए।

पट्टा वितरण करते हुये जिला कलेक्टर देवेन्द्र कुमार।

खाद्य पदार्थों के लिए नमूने

अलवर। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. योगेन्द्र शर्मा ने बताया कि 30 सितम्बर तक जिले में मिलावटीखोरी पर लगाम लगाने हेतु चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत आज विभिन्न स्थानों पर खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए। उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कार्यालय में प्रापत शिकायतों के आधार पर मैसर्स शिव शक्ति ट्रेडिंग बागर का बास से गाय का घी (गोकुल ब्राण्ड) एवं मुंगफली का तेल का नमूना जांच हेतु लिया गया एवं गांय के घी गोकुल ब्राण्ड के 26 पैकेट 500 मिली वजनी के जब्त किए गए। इसी प्रकार मैसर्स शुभग सामग्री स्टेर गायत्री मंदिर रोड से गाय का घी (ईजी डेयरी) के दो नमूने जांच हेतु लिए गए एवं शेष बचे 47 लीटर घी के 72 पैकेट जब्त किये गए। मैसर्स महावीर जनरल स्टोर भूगोर से हल्दी पाउडर एवं धनिया पाउडर के नमूने लिए गए एवं विभिन्न प्रतिष्ठानों से चार शहर एवं चार मिठाई के नमूने सर्विलांस के तहत लिए गए। सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं, चाट ठेले वालों को अपने खाद्य पदार्थों को ढक्कर बिक्री करने एवं साफ-सफाई से कार्य करने के निर्देश दिये।

शिविर में आमजन की समस्याओं का मौके पर किया निस्तारण

- भाइयों से सहमति बनाकर पट्टा बना कर दिया तो नहीं रहा खुशी का ठिकाना

शाहपुरा। आमजन से जुड़ी समस्याओं का मौके पर ही समाधान के लिए राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे शहरी सेवा शिविर 2025 का शुभारंभ हुआ। शहरी सेवा शिविर का मोक्षधाम के समीप अग्निशमन केंद्र परिसर में नगर परिषद सभापति बंशीधर सैनी व आयुक्त शुभम गुप्ता की देखरेख में शुरू हुआ। शिविर में 10 लाभार्थियों को पट्टे सहित ई समस्याओं का निस्तारण किया गया। शिविर का जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह, भाजपा नेता उपेंद्र यादव, पूर्व विधायक आलोक बेनीवाल, देवायुष सिंह, उपखंड अधिकारी संजीव कुमार खेडड, प्रधान पिस्ता देवी यादव व पूर्व प्रधान मंजू सैनी ने शिरकत की।

सांसद राव राजेंद्र सिंह ने लोगों से कहा कि सरकार आम जन ने से जुड़ी समस्याओं का तत्परता से निपटान करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। ऐसे में लोगों से भी अपील है कि वे अपनी समस्याओं को शिविर में लाकर उनका समाधान कराए। भाजपा नेता उपेन यादव ने कहा कि व्यक्ति शिविर में बेहिचक अपनी समस्याएं लेकर आए।

उन्होंने अधिकारी से साफ तौर पर कहा कि जनता अब जागरुक हो चुकी है। किसी को पट्टे आदि के लिए परेशान नहीं किया जाए। पूर्व विधायक आलोक बेनीवाल ने कहा कि शिविरों में लोगों को एक ही छत के नीचे सभी समस्याओं का समाधान मिलेगा। नगर परिषद सभापति बंशीधर सैनी व आयुक्त शुभम गुप्ता ने बताया कि वार्ड संख्या 7, 8 व 9 तथा वार्ड 21, 22 व 23 बिदारा व राजपुरा का शिविर आयोजित हुआ।

आयुक्त शुभम गुप्ता ने शिविर के दौरान शहर निवासी नवल सैनी जो कि ट्रक ड्राइवर था। मकान का पट्टा बनाने के लिए नगर परिषद में 3 जून को आवेदन किया। नगर परिषद प्रशासन द्वारा उनसे भाइयों की सहमति चाहिए गई। वो भी नगर परिषद प्रशासन द्वारा भाइयों को फोन कर बुलाकर कार्यालय में सहमति पत्र लिया गया और शिविर में बिना किसी परेशानी के उनका पट्टा बना कर गुरुवार को दिया तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वहीं शिविर में 10 अन्य लाभार्थियों को भी पट्टे वितरित किए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पांच लाभार्थियों को 50-50 हजार रुपए की राशि के चेक वितरित किए गए शिविर में प्रभारी अधिकारी सहायक अभियंता मुकेश कुमार सैनी, वरिष्ठ प्रारूपकार पूजा शर्मा, पुनीता टॉक वरिष्ठ प्रारूपकार, जलदाय विभाग के सहायक अभियंता सैनी, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष मालीराम सैनी, पार्षद इंद्राज पलसानिया, राजेंद्र लील, रोशन बागड़ी सहित विभिन्न विभागों के कई अधिकारी व कार्मिक मौजूद थे।

गुंसी के सहस्त्र कूट जिनालय पर धूमधाम से मनाया वार्षिकोत्सव

- श्रद्धालुओं ने बढ़-चढ़कर किया कलशाभिषेक

निवाई। श्री दिगंबर जैन समाज के तत्वावधान में सहस्त्रकूट विज्ञातीर्थ गुंसी मंदिर का वार्षिकोत्सव कई धार्मिक अनुष्ठानों के साथ मनाया गया जिसमें श्रद्धालुओं ने बढ-चढकर पूजा अर्चना की। विज्ञातीर्थ कार्याध्यक्ष सुनील भाणजा एवं विमल जौंला ने बताया कि वार्षिकोत्सव को लेकर मूलनायक भगवान शांतिनाथजी का सामूहिक कलशाभिषेक व शान्तिधारा की गई। पंडित निर्मल सुनारा के निर्देशन में भगवान शांतिनाथजी एवं शांतिनाथ मण्डल विधान की पूजा अर्चना संगीत के साथ हुई। जिसमें श्रद्धालुओं ने जमकर भक्ति नृत्य किया गया। हितेश छाबड़ा एवं जौंला ने बताया कि वार्षिकोत्सव की पूर्व संध्या पर भजन संकीर्तन किया गया। इस अवसर पर आर्यिका ज्ञानश्री माताजी ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि दान और त्याग दोनों अलग-अलग है, त्याग खोटी चीज का किया जाता है और दान अच्छी चीज का दिया जाता है, उन्होंने कहा कि क्रोध छोड़ो, मान छोड़ो, लोभ छोड़ो, यह कोई नहीं कहता कि ज्ञान छोड़ो।

गुंसी के सहस्त्र कूट जिनालय पर आयोजित वार्षिकोत्सव में भगवान की शान्तिधारा करते हुए श्रद्धालु।

आवारा पशुओं के गलें में रेडियम बेल्ट लगाये

दौसा। एनएचएआई, कला सुर संगीत संस्थान और सरस्वती वेल्फेयर सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में बीती रात्रि को दौसा जिले में एक अनूठा एवं जनहितकारी अभियान चलाया गया। इस अभियान के अंतर्गत जिले के हाईवे पर विचरण करने वाले आवारा पशुओं के गलों में रेडियम बेल्ट लगाए गए। हाईवे पर अक्सर रात्रि के समय ऐसे पशु सड़क पर आ जाते हैं, जिन्हें वाहन चालक अंधेरे में समय रहते नहीं देख पाते। इस कारण दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है और कई बार मासूम पशुओं के साथ-साथ लोगों की जान पर भी खतरा मंडरा जाता है।

ऐसे में यह पहल दुर्घटनाओं को रोकने और सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। इस अवसर पर कला सुर संगीत संस्थान के अध्यक्ष लक्की गुप्ता, सचिव नीरज शर्मा, दिलिप शर्मा, नवीन शर्मा सहित कई अन्य सदस्य उपस्थित रहे। साथ ही, एनएचएआई के पदाधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे और उन्होंने इस सेवा कार्य की सराहना की।

संस्थाओं के पदाधिकारियों ने कहा कि समाज सेवा केवल शिक्षा, स्वास्थ्य या पर्यावरण तक सीमित नहीं है, बल्कि मानव और पशु-दोनों की सुरक्षा भी उतनी ही आवश्यक है। रेडियम बेल्ट लगने से रात के समय दूर से ही इन पशुओं की पहचान हो जाएगी और वाहन चालक सावधानी बरत पाएंगे। स्थानीय लोगों ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि इस तरह की गतिविधियाँ समाज में सुरक्षा और जागरूकता दोनों को मजबूत करती हैं। आयोजकों ने यह भी संदेश दिया कि भविष्य में ऐसे अभियानों को और बड़े स्तर पर चलाकर अधिक से अधिक पशुओं को रेडियम बेल्ट पहनाने का प्रयास किया जाएगा।

15 वर्षो से फरार 20 हजार के इनामी शातिर दंपती गिरफ्तार

- 33 हजार लोगों से 22 करोड़ रुपये की थी ठगी
- 2010 में रिलायबल एज्युकेशन प्रा.लि. व रिलायबल रियल हाउस प्रा.लि. नाम से चिटफंड कम्पनी खोलकर लोगों के साथ करोडों की ठगी की थी

दौसा। साइबर सेल और कोतवाली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 15 वर्षों से फरार चल रहे 20 हजार रुपए के इनामी शातिर दंपती को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार दंपती ने 33 हजार से अधिक लोगो के 22 करोड रुपये का चुना लगाया है।

कोतवाल सुधीर उपाध्याय ने बताया कि यह दंपती लंबे समय से राजस्थान सहित अन्य राज्यों में लोगों को निवेश के नाम पर झांसा देकर ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहा था। वर्ष 2010 में रिलायबल एज्युकेशन प्रा.लि. व रिलायबल रियल हाउस प्रा.लि. नाम से चिटफंड कम्पनी खोलकर लोगों के साथ करोडों की ठगी की थी। फर्जी दस्तावेज बनाकर श्रीराम से मुकेश कुमार व पत्नी नीना से मीना देवी बनकर 15 वर्ष से दिल्ली व हरियाणा में फरारी काट रहे थे। अभियुक्तगण दौसा सहित अन्य जिलों व राज्यों में वांछित चल रहे हैं। उन्होने बताया कि 5 अक्टूबर 2010 को पीड़ित गिर्राज प्रसाद पुत्र जगदीश प्रसाद शर्मा निवासी दीपपुरा थाना बस्सी जिला जयपुर व मुखराज मीना निवासी डिडवाना लालसोट, सी.डी. शर्मा विवेकानन्द कॉलोनी दौसा, डॉ. के.के. सोनी निवासी दौसा, विजय शंकर शर्मा निवासी दौसा, राजेन्द्र कुमार विजय निवासी दौसा ने कोतवाली में रिपोर्ट पेश की थी कि रिलायबल एज्युकेशन प्रा.लि. व रिलायबल रियल हाउस प्रा.लि. के डायरेक्टर राकेश कुमार गुप्ता, मनीष खींची, सूरज शर्मा, श्रीराम सैनी, भवानी सिंह कुमावत, नीना सैनी व अन्य ने मिलकर दोनों कम्पनियों का निर्माण किया और पूरे भारतवर्ष 33 हजार लोगों के साथ ठगी कर 22 करोड के लगभग टर्नओवर किया। जिसमें से कार्यकर्ताओं को कमीशन नॉनवर्किंग कार, मोटर साइकिल इत्यादि दिये जाने का प्रलोभन दिया गया। इनके द्वारा दौसा जिले में भी 6-7 हजार लोगों के साथ धोखाधडी कर लगभग 6 करोड रुपए ठग लिये। इसी प्रकार जोबनेर जयपुर में 26 बीघा जमीन रिलायबल एन्कलेव के नाम से कॉलोनी काट कर 150-200 प्लाट का पैमेन्ट लेकर प्लाट का पजेशन नहीं देकर ठगी की गई। कोतवाल सुधीर उपाध्याय ने बताया कि पुलिस अधीक्षक सागर राणा ने दौसा में 22 करोड की ठगी के प्रकरण में 15 साल से वांछित चल रहे 20 हजार रुपए के इनामी अभियुक्त पति-पत्नी श्रीराम सैनी व नीना देवी की गिरफ्तारी के लिए साइबर सेल प्रभारी प्रेमनारायण शर्मा के नेतृत्व में साइबर टीम के सदस्यों की तकनीकी टीम का गठन कर शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिये थे।

टीम द्वारा लगातार अपराधियों की निगरानी कर अपराधियों के संबंध में बुद्धिमता, ओपन सोर्स, परम्परागत पुलिस संसाधनों, गोपनीय सूचना तथा तकनीकी संसाधनों का उपयोग कर उसके अस्थाई निवासों एवं रोजगार के साधनों के संबंध में सूचना संकलन की गई। इस सूचना के आधार पर अभियुक्तों के विभिन्न अस्थाई निवास स्थानों के समाचार पत्र वितरकों, फल-सब्जी दुकानदारों, डेयरी बूथों, परचून के सामान विक्रेताओं से तथा रोजगार स्थल के आस पडौसी दुकानदारों से गोपनीय जानकारी जुटाकर तथाकथित मुकेश कुमार व मीना देवी की पुख्ता पहचान कर आरोपी श्रीराम सैनी व नीना देवी को गिरफ्तार करने में सफलता अर्जित की गई। कोतवाल सुधीर उपाध्याय ने बताया कि अभियुक्त दौसा जिले के कोतवाली, बांदीकुई व जिला झुंझुनू के कई आपराधिक प्रकरणों में वांछित अपराधी हैं। इसके अलावा अन्य जिलों एवं राज्यों से भी वांछित होने के संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त श्रीराम पुत्र महावीर प्रसाद सैनी पत्नी श्रीराम सैनी वार्ड नं. 22 बग्गड रोड झुंझुनू के रहने वाले हैं।

नम्बर मिलाइए 9587884433

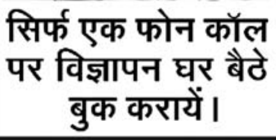

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

न्यायालय तहसीलदार सैंथल

क्रमांक: राजस्व/2025/457 आम सूचना दिनांक 11.09.202

अदालत तहसीलदार, सैंथल
प्रकरण संख्या 14/2025
सरकार बनाम मोहनलाल सैनी पुत्र भूरालाल
बाबत्- वसीयत का नामान्तकरण

आम जन को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री मोहनलाल सैनी पु भूरालाल सैनी जाति माली निवासी ए 1 केशर निवास मोना नर्सरी के पा पटेल मार्ग के सामने न्यू सांगानेर रोड मानसरोवर ग्राम गोलियावा जयपुर द्वारा ग्राम होदायली तहसील सैंथल जिला दौसा स्थित खस नम्बर 369 रकबा 0.39 है. एवं 385 रकबा 1.12 है. कुल किता 2 रकबा 1 51 है. में वसीयतकर्ता मृतक केसर देवी पत्नी मोहनलाल सैनी क वसीयत का नामान्तकरण खुलवाने हेतु निवेदन किया गया। अतः किर भी व्यक्ति/ आमजन को उक्त वसीयत का नामान्तकरण तस्दीक कर के लिए किसी को कोई उज या आपत्ति हो तो अपना पक्ष रखने हेतु म दस्तावेजात् आगामी तारीख पेशी दिनांक 23.09.2025 को न्यायाल तहसीलदार, सैंथल में प्रस्तुत हो जिससे प्रकरण का निस्तारण किया ज सके। सूचित रहें। तहसीलदार सैंथल
तहसील सैंथल जिला दौसा (राज.)

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी अभिभाष्या श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री सीताराम शर्मा ने अपना व्यावसायिक भूखण्ड दिनांक 20.12.2021 को श्री योगेन्द्र सिंह पुत्र गिरधारी सिंह को लीज पर दिया था, लेकिन योगेन्द्र सिंह के द्वारा लीज की शर्तों का उल्लंघन करने तथा मेरी अभिभाष्या के हस्ताक्षर कर उक्त परिसर को सबलेट करने तथा फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज बनाने के कारण उक्त परिसर खाली करवा लिया गया है तथा उक्त व्यक्ति के विरूद्ध पुलिस थाना शिवदासपुरा में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 642/2025 दर्ज करा दी गई है, उक्त परिसर खाली करने के पश्चात् विभिन्न वित्तीय संस्थाओं/ वित्तीय बैंक के कर्मचारी लोन की वसूली हेतु तथा पुलिस थाना मुरलीपुरा में दर्ज प्रकरण 310/2025 के संदर्भ में अनुसंधान हेतु पुलिस अधिकारी आते है, जबकि उक्त परिसर माह अगस्त 2025 में ही खाली करवाकर अन्य व्यावसायिक फर्म/ संस्थान को किराये पर दे दिया गया था। इस प्रकार दिनांक 20.12.2021 को निष्पादित लीज डीड, लीज की शर्तों का उल्लंघन करने की वजह से स्वतः निरस्त हो चुकी है, सूचित रहे।
जयपुर अश्विनी कुमार शर्मा, एडवोकेट
दिनांक 18/9/2025 मोबाइल नं.-9414784294

कार्यालय उप आवासन आयुक्त वृत्त प्रथम
राजस्थान आवासन मण्डल वृत्त-प्रथम

क्रमांक: 7089 **जाहिर आम सूचना** दिनांक 17.09.2025

राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना में आवास/फ्लैट संख्या 174/103 अल्प आय वर्ग (एरिया 60.00 वर्गमीटर) का आवंटन श्री मनोज कुमार ठोलिया पुत्र श्री झानचन्द ठोलिया को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 2587 दिनांक 13.01.2001 को जारी किया गया था। जिसके पंजीयन प्रपत्र श्री मनोज कुमार ठोलिया पुत्र श्री झानचन्द ठोलिया के नाम दिनांक 17.05.2016 को उप पंजीयक सांगानेर-प्रथम जयपुर में पंजीकृत किया गया है। श्री मनोज कुमार ठोलिया की मृत्यु दिनांक 31.12.2024 को हो जाने के कारण उनकी पत्नी श्रीमती अंजू देवी ठौलिया पत्नी स्व. श्री मनोज कुमार ठोलिया द्वारा आवासन मण्डल मे पंजीकृत हक त्याग के आधार पर अपना नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कराने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हैं। अतः उक्त आवास का हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ती हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं हैं, श्रीमती अंजू देवी ठौलिया पत्नी स्व. श्री मनोज कुमार ठोलिया का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।
संपदा प्रबंधक, वृत प्रथम, राज. आ. मण्डल, जयपुर

कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अधीन नोटिस समस्त संबंधित व्यक्तियों को (नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)
मुकदमा नंबर 35/2025

चूंकि श्री कृष्ण शर्मा पुत्र श्री शम्भू दयाल शर्मा निवासी ग्राम सरूण्ड तहसील कोटपुतली जिला कोटपुतली-बहरोड ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अंतर्गत प्रन्यास मंदिर श्री देवी जी (सरूण्ड माता) ट्रस्ट, ग्राम सरूढ तहसील कोटपुतली जिला कोटपुतली-बहरोड, के न्यास विधान में संशोधन कर संशोधित ट्रस्ट डीड एवं न्यासी परिवर्तन को दर्ज अभिलेख हेतु जांच किये जाने के लिए प्रपत्र-8 में आवेदन-पत्र दिया है। अतएव धारा 23 में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास में हुवे परिवर्तन/संशोधन जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से तीन दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के संबंध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा। आज दिनांक 17.9.25 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइन्दा तारीख पेशी 29.10.2025
मोहर अदालत सहायक आयुक्त (द्वितीय)
देवस्थान विभाग, जयपुर

कार्यालय उप आवासन आयुक्त वृत्त-प्रथम
राजस्थान आवासन मंडल, प्रताप नगर, जयपुर

क्रमांक : 7123 दिनांक : 18.9.25

जाहिर आम-सूचना

राजस्थान आवासन मंडल की प्रताप नगर योजना में आवास/फ्लैट संख्या 84/137 (MIG-B) का आवंटन श्रीमती सरजू बाला व्यास पत्नी श्री जी.आर. व्यास को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 643 दिनांक 22.4.1993 को जारी किया गया था। जिसका नियमितिकरण पत्र क्रमांक 2884 दिनांक 8.3.2004 के द्वारा श्री सुधीर सिंह पुत्र श्री रक्षपाल सिंह के पक्ष में किया गया। जिसके पंजीयन प्रपत्र श्री सुधीर सिंह पुत्र श्री रक्षपाल सिंह के नाम दिनांक 21.3.2004 को उप पंजीयक सांगानेर जयपुर में पंजीकृत किया गया है। श्री सुधीर सिंह की मृत्यु दिनांक 4.5.2025 को हो जाने के कारण उनकी पत्नी एवं पुत्रान क्रमशः 1. श्रीमती प्रीति कुल्हरी पत्नी स्व. श्री सुधीर सिंह, 2. श्री अधीराज कुल्हरी पुत्र स्व. श्री सुधीर सिंह, 3. अकुल कुल्हरी पुत्र स्व. श्री सुधीर सिंह एवं 4. श्री विराज कुल्हरी पुत्र स्व. श्री सुधीर सिंह (नाबालिक) द्वारा आवासन मंडल में पंजीकृत हक त्याग के आधार पर अपना नाम मंडल रिकॉर्ड में दर्ज कराने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। अतः उक्त आवास का हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ती हो तो अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मंडल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। 1. श्रीमती प्रीति कुल्हरी पत्नी स्व. श्री सुधीर सिंह, 2. श्री अधीराज कुल्हरी पुत्र स्व. श्री सुधीर सिंह, 3. अकुल कुल्हरी पुत्र स्व. श्री सुधीर सिंह एवं 4. श्री विराज कुल्हरी पुत्र स्व. श्री सुधीर सिंह (नाबालिक) का नाम मंडल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।
सम्पदा प्रबंधक, वृत्त-प्रथम, राज.आवा. मंडल, जयपुर

NOTICE TO SHOW CAUSE
(Appendix H From 4)
IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JAIPUR BENCH,JAIPUR
S.B. Civil Writ Petition No. 10971 /2022
Sitaram Sharma & Ors. Vs Suwalal & Ors.
To.
1. Suwalal S/o Mohru (Deceased)
1/1. Rameshwar S/o late Shri Suwalal, R/o Village Raghunathpura @ Ratlya Tehsil Sanganer District Jaipur.
1/2.Sitaram S/o late Shri Suwalal, R/o Village Raghunathpura @ Ratlya Tehsil Sanganer District - Jaipur.
1/3.Ghasiram S/o Late Shri Suwalal, aged about 71 years, R/o Village Raghunathpura @Ratlya Tehsil Sanganer District -Jaipur. Devilal S/o Mohru (Deceased)
2/1. Muli Devi D/o Davilal w/o Bhawar Lal Sharma R/o Village Bada Khet Muhana Tehsil Sanganer District Jaipur. Rajasthan.
3. Birdhi Chand, Rampal S/o Shyonarayan R/o Village Raghunathpura @ Ratlya Tehsil Sanganer District Jaipur.
4. Smt. Dhapu W/o Chunni Lal R/o Village Raghunathpura @ Ratlya Tehsil Sanganer District Jaipur.
5.Mangu S/o Bijya (Deceased)
5/1.Ganesh Narayan S/o Madan lal R/o Village Raghunathpura @ Ratlya Tehsil Sanganer District -Jaipur.
5/2.Babulal S/o Madan lal R/o Village Raghunathpura @ Ratlya Tehsil Sanganer District Jaipur.
5/3. Bidam Devi W/o Prabhu Narayan R/o Village Raghunathpura @ Ratlya Tehsil Sanganer District-Jaipur.
5/4. Suresh S/o Madan lal R/o Village Raghunathpura @ Ratlya Tehsil Sanganer District Jaipur.
6. Additional District Collector (Second), Jaipur.
Whereas the above named petitioner has made a writ Petition to this Court under Article 226 the Constitution of India a copy which is enclosed You are hereby formed that you may appear in person or by a pleader duly instruction on the... 24-09-2025 At 10:30 A.M to show cause why the write petition should not be admitted, failing where in the said write petition will be heard and admitted ex-party. Given under my hand and the seal of the Court, This 12/09/2025 day of 20
मोहर Register
Raj. High Court, Jaipur

कार्यालय उप आवासन आयुक्त वृत्त प्रथम
राजस्थान आवासन मण्डल वृत्त- प्रथम

क्रमांक: 7091 **जाहिर आम सूचना** दिनांक 17.09.2025

राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना में आवास संख्या 113/173 (EWS), (क्षेत्रफल 30.937 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवेदन श्री हेमनदास पुत्र श्री नत्थूमल को किया जाकर आवेदन पत्र क्रमांक 845 दिनांक 29.06.1998 को जारी किया गया। श्रीमती यशोदा देवी पत्नी श्री प्रभु लाल नागर के पक्ष में उक्त आवास का नियमितिकरन आदेश क्रमांक 5494/2776 दिनांक 15.12.2020 के तहत किया गया तथा श्रीमती यशोदा देवी के पक्ष में उक्त आवास को पंजीयन क्रमांक 2021/307 दिनांक 02.07.2021 उप पंजीयक अष्टम, मानसरोवर, जयपुर के यहां पंजीकृत करवाया गया। श्रीमती यशोदा देवी की मृत्यु दिनांक 02.05.2023 को हो जाने के कारण पार्षद की सजरा रिपोर्ट के आधार पर इनके पुत्र श्री विकास नागर पुत्र स्व. श्री प्रभु लाल नागर द्वारा उक्त आवास स्वयं के नाम हस्तांतरित करने हेतु आवेदन किया गया है। अतः उक्त आवास के हस्तांतरण बाबत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरित के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए कि मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, श्री विकास नागर पुत्र स्व. श्री प्रभु लाल नागर के नाम मण्डल रिकार्ड में दर्ज कर दिया जाएगा।
संपदा प्रबंधक, वृत्त प्रथम, राज. आ. मण्डल, जयपुर

कार्यालय उप आवासन आयुक्त वृत्त-प्रथम
राजस्थान आवासन मण्डल, प्रताप नगर, जयपुर

क्रमांक : 7033 **जाहिर आम-सूचना** दिनांक : 15.09.2025

राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना में आवास / फ्लैट संख्या 85/572 (LIG) का आवंटन श्री सीताराम राजोरिया पुत्र श्री गजानन्द राजोरिया को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 362 दिनांक 31.05.1994 को जारी किया गया था। उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 29.09.1994 को सम्भलाया गया। तत्पश्चात श्री सीताराम राजोरिया की मृत्यु दिनांक 08.01.1997 को हो जाने के कारण उनकी पत्नी श्रीमती कान्ता राजोरिया पत्नी स्व. श्री सीताराम राजोरिया द्वारा आवासन मण्डल में रिकॉर्ड में दर्ज कराने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1693 दिनांक 06.12.2012 के द्वारा मण्डल रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज किया गया। जिसके पंजीयन प्रपत्र श्रीमती कान्ता राजोरिया पत्नी स्व. श्री सीताराम राजोरिया के नाम दिनांक 05.09.2024 को उप पंजीयक सांगानेर-प्रथम जयपुर में पंजीकृत किया गया है। श्रीमती कान्ता राजोरिया की मृत्यु दिनांक 26.07.2025 को हो जाने के कारण उनकी पुत्री श्रीमती स्वाति राजोरिया पुत्री स्व. श्री सीताराम राजोरिया एवं मोनिका खण्डेलवाल पत्नी श्री लवनीत खण्डेलवाल द्वारा आवासन मण्डल मे अपना नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कराने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। अतः उक्त आवास का हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ती हो तो अद्योहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नही है, श्रीमती स्वाति राजोरिया पुत्री स्व. श्री सीताराम राजोरिया एवं मोनिका खण्डेलवाल पत्नी श्री लवनीत खण्डेलवाल का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा। सम्पदा प्रबन्धक
वृत्त-प्रथम, राज. आवा. मण्डल, जयपुर

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री के अपार आईडी में उसका नाम कृष्णा कंवर नरूका दर्ज है जबकि अन्य सभी दस्तावेजों में उसका नाम कृष्णा कंवर दर्ज है। भविष्य में मेरी पुत्री को कृष्णा कंवर (KRISHNA KANWAR) पुत्री रेखा राम नरूका निवासी 373, गायत्री नगर-ए, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर के नाम से जाना जाए।

I have changed my name from Leelawanti, Lilawati, Leelawati Jaswani and Divya to Divya Jaswani wife of Shri Naresh Kumar. I will be known by this name in future. Address:- plot no 1 B Khawas ji ka bagh Sindhi colony Durgapura , Jaipur.

खोया पाया

मेरे प्लाट नम्बर 68/219 (HIG) सेक्टर 6 प्रताप नगर, जयपुर के मूल कागजात, आवंटन लेटर, कब्ज़ा लेटर, आदेश लेटर, नाम लेटर, कन्वेंस डीड, वर्चुअल डीड, सत्यापित प्रति, कहीं खो गए है मिलने पे सूचित करे। ललिता शर्मा 68/219 सेक्टर 6 प्रताप नगर जयपुर। 6377268029

मेरा नगर पालिका मण्डल किशनगढ-रेनवाल के द्वारा राज. ग्रान्ट एक्ट 1961 में जारी पट्टा जो कि यासीन मोहम्मद पुत्र श्री हाजी सुण्डा जाति मुसलमान निवासी कि. रेनवाल उपक्षेत्र सं.09 दिनांक 23.10.1983 के नाम जारी था। जिसका क्षेत्रफल 21 फुट X 9 फुट = 21 वर्गगज था। जिसकी मूल प्रति मेरे द्वारा गुम हो गई है। अतः उक्त पट्टा किसी व्यक्ति को मिले तो सूचित करें- मो.7740958041

मेरे प्लॉट संख्या 27,नरसिंह विहार कॉलोनी मुहाना बस स्टैंड के पास,तहसील सांगानेर के दी सांगानेर को ऑपरेटिव सोसायटी लि. के समस्त कागज कहीं गुम हो गए है मिलने पर सूचित करें। छोटी लाल पुत्र पोखर राम बैरवा 8387847008

श्री धन्वन्तरि सेवा समिति
96, जौहरी बाजार, जयपुर (राज.) फोन: 2574333 | Email: dhanvantrysamiti@gmail.com

क्रमांक: 485/25 **सूचना** दिनांक: 18.09.2025

श्री धन्वन्तरि सेवा समिति जयपुर के आगामी चुनाव हेतु प्रस्तावित मतदाता सूची समिति कार्यालय में अवलोकन हेतु उपलब्ध है किसी भी सदस्य को इस प्रस्तावित मतदाता सूची के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो लिखित में 22.09.2025 को सायं 4 बजे तक कार्यालय में अपनी आपत्ति लिखित में प्रस्तुत कर देवें।
मन्त्री

नगर निगम ग्रेटर जयपुर
(सांगानेर स्टेडियम वाली रोड, गर्ल्स स्कूल के पास, सांगानेर जयपुर)
E-mail :- eesanganerzone01@gmail.com

क्रमांक :- जसअ/2025/216 दिनांकः 17.09.2025

निविदा सूचना संख्या 71/2025-26

केन्द्र एवं राज्य सरकार के सभी विभागों में पंजीकृत संवेदकों एवं नगर निगम ग्रेटर जयपुर के पंजीकृत निविदादाताओं से बिड अधि. अभि. (सांगानेर जोन) से संबंधित विकास कार्य की निविदा आमंत्रित की जाती है। कार्य की अनुमानित लागत, टेण्डर बेचे जाने तथा प्राप्त करने की तारीख, टेण्डर शर्ते आदि सम्पूर्ण विवरण वेबसाईट http://sppp.raj.nic.in & www.jaipurmc.org पर देखी जा सकती है। स्टेट पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल का Unique Bid Number JMC2526WSOB001314 है।
अधिशाषी अभियंता
सांगानेर जोन
राज.संवाद/सी/25/10389 नगर निगम जयपुर ग्रेटर

कार्यालय नगर परिषद, दौसा
लालसोट रोड दौसा - 303303
फोन व फैक्स-01427-220054 ई-मेल-dausa.jaipur@yahoo.com
क्रमांक-3532 प्रारूप-10 नियम 6(7) दिनांक-18/9/25

(प्राधिकृत अधिकारी) नगर परिषद दौसा
लोक सूचना

लक्ष्मी देवी पत्नि राजेश हिस्सा-4277/9000 जाति महाजन, श्रीमतिमधु पत्नि आर. के. गुप्ता हिस्सा-223/4500 जाति महाजन, सरोजदेवी पत्नि रतनलाल हिस्सा-4277/9000 जाति महाजन ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर-कृषिक आवसीय प्रयोजनार्थ के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है।

क्र.सं.	जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्र
1	दौसा	मोडा पट्टी	910/717	0.26 है0
2	दौसा	मोडा पट्टी	913/717	0.19 है0

इसलिये, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृतिः अधिनियम, 1956 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के आवासीय उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी की आपेक्ष नही है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक ....को जारी की गयी।
प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त नगर परिषद दौसा

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

बोली आमंत्रण सूचना

बोर्ड परीक्षा 2026 हेतु विभिन्न प्रकार के लिफाफें निर्माण एंव आपूर्ति (अनुमानित राशि रू 15.00 लाख) के उपापन हेतु इच्छुक बोलीदाताओं से ऑनलाईन बोली दिनांक 24.09.2025 को अपरान्ह 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। बोली संबंधी विस्तृत विवरण राज्य सरकार के उपापन पोर्टल (http:// eproc.rajasthan.gov.in, http://sppp.raj.gov.in एवं बोर्ड वेबसाईट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।
UBN CODE - SEB 2526A0018
सचिव

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
खेरली शाखा, राजकीय सीनियर सैकण्डरी स्कूल के सामने, कठूमर रोड़, खेरली, अलवर, राजस्थान, फोन नं.: 01492-280130, ई-मेल: kherli@bankofbaroda.com

अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस
"परिशिष्ट-IV-क" [नियम 8(6) का परन्तुक देखें]

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस। आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी है, का कब्जा प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **"जैसी है जहां है", "जो है जैसी है" और "जितनी भी उपलब्ध है"** के आधार पर **बैंक ऑफ बड़ौदा**, प्रतिभूत लेनदार की बकाया राशि नीचे उल्लेखित खातें की वसूली हेतु बेचा जाएगा। ऋणियों/बंधककर्ताओं/जमानतदारों/प्रतिभूत आस्तियों/बकायों/आरक्षित मूल्य/ई-नीलामी की दिनांक व समय, धरोहर राशि एवं बोली वृद्धि राशि का विवरण नीचे वर्णित है-

क्रं./लोट नं.	ऋणियों/जमानतदारों/बंधककर्ताओं के नाम एवं पते	ज्ञात संपत्ति के साथ अचल संपत्ति का संक्षिप्त विवरण, यदि कोई हो	कुल बकाया राशि मांग पत्र के अनुसार	ई-नीलामी की दिनांक / ई-नीलामी का समय प्रारम्भ समय से समाप्ति समय	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि (ईएमडी) / बोली वृद्धि राशि	कब्जे की स्थिति (सांकेतिक/वास्तविक)	संपत्ति निरीक्षण की दिनांक व समय
1.	**मैसर्स खंडेलवाल ऑटोमोबाइल्स** पुलिस स्टेशन के सामने, कठूमर रोड़, खेरली, तहसील कठूमर, जिला अलवर, राजस्थान 321606 **प्रोपराईटर एवं ऋणी-** **श्री सुरेश चंद पुत्र श्री मंगतू राम** वार्ड नं. 16, गुर्जर मोहल्ला, पोस्ट ऑफीस के पास, खेरली, तहसील कठूमर, जिला अलवर, राजस्थान 321606 **जमानतदार-** **श्री दिनेश चंद पुत्र श्री मंगतू राम** वार्ड नं. 16, गुर्जर मोहल्ला, पोस्ट ऑफीस के पास, खेरली, तहसील कठूमर, जिला अलवर, राजस्थान 321606	श्री दिनेश चंद पुत्र श्री मंगतू राम एवं श्री सुरेश चंद पुत्र श्री मंगतू राम के नाम साम्यिक बंधक आवासीय सम्पत्ति जो वाई नं. 16, गुर्जर मोहल्ला, खेरली, तहसील कठूमर, जिला अलवर, राजस्थान 321606 पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 169.734 वर्ग मीटर (203 वर्ग गज) है। सीमाएं- पूर्व: रोड़, पश्चिम: गली, उत्तर: श्री दीपचंद शर्मा का प्लॉट, दक्षिण: श्री रामस्वरूप खंडेलवाल का प्लॉट **अन्य ऋण भार: ज्ञात नहीं**	रूपये 15,31,416.99 दिनांक 18.09.2024 को बकाया (दिनांक 18.09.2024 तक ब्याज शामिल करते हुए) एवं इससे आगे का ब्याज व अन्य वसूली खर्चे इत्यादि।	27.10.2025 / दोपहर 02:00 बजे से सांय 06:00 बजे तक	**आरक्षित मूल्य-** रूपये 30,15,000/- **धरोहर राशि-** रूपये 3,01,500/- **बोली वृद्धि राशि-** रूपये 20,000/-	सांकेतिक	18.10.2025 दोपहर 12:00 बजे से दोपहर 03:00 बजे तक

विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया नीचे दिए गए वेबसाइट अर्थात https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm एवं ऑनलाईन नीलामी पोर्टल https://baanknet.com देखें। इसके अलावा संभावित बोलीदाता प्राधिकृत अधिकारी से **दूरभाष नं.- 01492-280130, मोबाईल नं. 8094004765** पर संपर्क कर सकते है।
हस्ता.
दिनांक: 17.09.2025 प्राधिकृत अधिकारी
स्थान: अलवर बैंक ऑफ बड़ौदा